बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

Mail

संख्या :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284 / 2019....236.

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक :

विषय :– विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत ग्राम के त्रि–सीमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के निर्माण एवं अधिष्ठापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत DILRMP के दिशा निर्देशों एवं विभागीय स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में जिन ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है वहॉ के त्रि–सीमानों पर Tertiary Control Point के रूप में पिलर को लगाया जाना है। वर्त्तमान समय में विभागीय स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार उक्त पिलरों के निर्माण का कार्य जिलों के बंदोबस्त कार्यालय द्वारा किया जाना है। राजस्व ग्रामों के मानचित्रों एवं क्षेत्र में किए जा रहे त्रि–सीमानों के सत्यापन कार्य से स्पष्ट है कि इन त्रि–सीमानों की संख्या प्रत्येक ग्राम में औसतन 2 से 3 होगी। बड़े राजस्व ग्राम की स्थिति में यह संख्या बढ़ भी सकती है। अतः वर्त्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत शिविरों द्वारा जितने राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है उनके तीन गुना पिलरों की तत्काल आवश्यकता होगी। यह संख्या वास्तविक कार्य प्रारंभ होने के क्रम में परिवर्त्तित हो सकती है।

पिलरों की संरचना के संबंध में निदेशालय स्तर से पत्रांक–524 दिनांक–21.03.2018 द्वारा केन्द्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग को पिलरों की संरचना हेतु तकनीकी स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपलन में प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निदेशालय द्वारा हवाई सवेक्षण एजेंसियों को पिलर की संरचना के संबंध में पत्रांक–1721 दिनांक–17.11.2019 प्रेषित किया गया। पत्रांक–1762 दिनांक–22.11.2017 द्वारा त्रि–सीमानों के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता रखने के संबंध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसीयों को निदेश दिया गया था (जो संलग्न है)।

पिलरों के निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक–468 दिनांक–03.12.2020 तथा प्रयुक्त पिलर के दर निर्धारण के संबंध में (Carrige of Materials के साथ) मुख्य अभियन्ता (निरूपण) पत्रांक–646 (नि0) प्राप्त है जो संलग्न है। भवन निर्माण द्वारा इन पत्रों के माध्यम से प्रति पिलर पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन मो0 870 रु० (आठ सौ सत्तर अदद प्रति पिलर) रूपये निर्धारित किया गया है एवं Carriage of Material Per Pillar जिला के अनुसार निर्धारित है। इनके आधार पर जिला स्तर पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा आवश्यकतानुसार पिलर का निर्माण कार्य किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सभी प्रासंगिक पत्रों को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत लगाये जाने वाले पिलरों के निर्माण का कार्य जिला स्तर पर करवाने की कार्रवाई की जाए। पिलरों के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर एजेंसी का चयन किया जा सकता है।

पिलरों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्राक्कलन के अनुसार मापी पुस्तिका तैयार करने एवं पिलर निर्माण की जॉच करने के लिए तकनीकी योग्यता प्राप्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो की सहायता भी ली जा सकती है। पिलर निर्माण के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान अलग से किया जा रहा है। अतः इसके लिए आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग किए जाने पर राशि जिलों को उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019..236.. **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त/सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019..236.. **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019..236.. **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :–संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019..236.. **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17– वि0 सर्वे0–(एजेंसी) –319 / 2016...527....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

ई0 राज कुमार लाल,
मुख्य अभियन्ता,
केन्द्रीय निरूपण संगठन
पथ निर्माण विभाग,
विश्वसरैया भवन, पटना।

पटना, दिनांक :– 21-03-2018

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण के तहत कराए जा रहे सर्वेक्षण कार्य में पीलरों की संरचना हेतु तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण के क्रम में मोन्यूमेंटेशन कार्य हेतु पुरे राज्य में ग्रामों के त्रि–सीमाना पर पीलर लगाने का कार्य किया जाना है। त्रि–सीमाना हेतु तैयार किए जाने वाले पीलरों का साईज 23Cm",23Cm",75Cm" होगा। विभाग द्वारा स्वीकृत पीलर के डिजाईन की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि मोन्यूमेंटेशन कार्य हेतु पीलर निर्माण में हाने वाले व्यय का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वसभाजन
21/3/18
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17– वि0 सर्वे0–(एजेंसी) –319 / 2016...527.... पटना दिनांक :– 21-03-201
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुध विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/18
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमा

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–नि0 (सर्वेक्षण)-विविध मार्गदर्शन–133 / 2015 -1721

प्रेषक

श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र भा0प्र0से0
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार पटना।

सेवा में,

The Project Manager
(i) IL & FS, New Delhi
(ii) IIC Technology Ltd. Hyderabad
(iii) GIS Consortium Udra Pvt. Ltd. New Delhi

पटना दिनांक – 17/11/2017

विषय – त्रि–सीमाना पीलर की संरचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत किए जाने वाले सर्वेक्षण कार्य हेतु त्रि–सीमाना स्थापित करने के लिए पीलर की संरचना (Design) की स्वीकृति का अनुरोध आई0आई0सी0 टेक्नलॉजी हैदराबाद द्वारा किया गया है।

उक्त के आलोक में दिनांक–04.10.2017 को Video Conferecing के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में त्रि–सीमाना के डिजाईन की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की गई है।

त्रि–सीमाना पीलर की संरचना (Design) की स्वीकृति प्रति उपलब्ध कराया जा रहा है (पीलर संरचना की छायाप्रति संलग्न)।

निदेश है कि ग्रामवार त्रि–सीमाना स्थापित कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर में साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उक्त प्रतिवेदन में निम्नांकित बिन्दु सम्मिलित होनी चाहिए –

(i) विहित संरचना में मोन्यूमेंटेशन स्थापित करने से संबंधित।
(ii) तत्संगत तीन A.C.P की पहचान से संबंधित।
(iii) तीनों टाईलाईन का E.T.S measurment से संबंधित।
(iv) ग्राम का त्रि–सीमाना और त्रि–सीमाना के संगत टाईलाईन को दर्शाते हुए Image Crop कर अपलोड करने से संबंधित।
(v) त्रि–सीमाना / A.C.P Co-ordinates की D.G.P.S reading एवं M.S.L से स्थल की ऊँचाई से संबंधित।
(vi) त्रि–सीमाना / A.C.P के कोड से संबंधित।
(vii) D.G.P.S द्वारा त्रि–सीमाना Co-ordinates reading और ऑर्थो पर के तत्संगत इमेज प्वाइंट का कॉर्डिनेट रिडिंग समान या सपाती होने से संबंधित।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 16/11/17

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार पटना।

Tri Junction Pillar

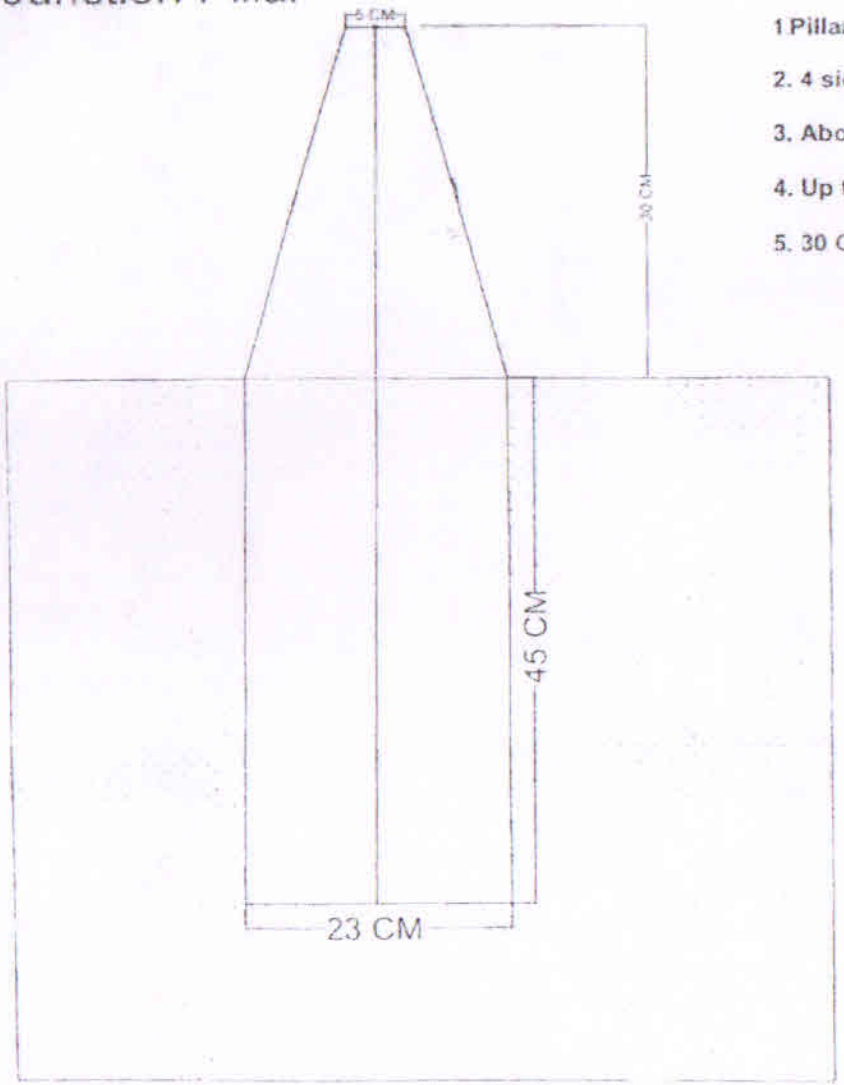

Note :-

1 Pillar Size 23cm * 23cm*75cm

2. 4 sides & middle Iron 8mm Rods with Rings

3. Above 30 CM shape should be in pyramid style

4. Up to 45 Cm under ground

5. 30 Cm above the Ground

Fax/Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17– सी० सर्वे० एजेंसी (तकनीकी प्रतिवेदन) – 91 / 2017– 1762

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर,
IIC Technologies Ltd.,Hyderabad,
IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd.New Delhi,
GIS Consortium India Pvt Ltd. New Delhi

पटना, दिनांक :– 22/11/2017

विषय – त्रि–सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत हवाई फोटोग्राफी एजेंसी द्वारा ग्राम सीमा स्थित सभी त्रि–सीमानों का मोन्युमेंटेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। उक्त स्थापित किये जा रहे त्रीसीमानों और उसके टाईलाइन में संबद्ध ए०सी०पी० (ACP) के कोड का संधारण डाटाबेस में किया जाना है। तीनों हवाई फोटोग्राफी एजेंसियों द्वारा निर्मित किए जा रहे डाटा में एकरूपता बनी रहे इसके लिए त्रि–सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता रखा जाना आवश्यक है। जिसके लिए त्रि–सीमाना के कोडिंग के निर्धारण हेतु निदेशालय द्वारा कोडिंग की विधि तैयार की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपर्युक्त के आलोक में त्रि–सीमाना के कोडिंग पैटर्न निदेशालय द्वारा तैयार विधि के आधार पर तैयार करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर में त्रि–सीमाना एवं ACP से संबंधित विवरण अपलोड करें ताकि एकरूप डाटाबेस निर्मित हो सके एवं आवश्यकतानुसार साप्ताहिक प्रतिवेदन का सत्यापन किया जा सके।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

त्रि–सीमाना के कोडिंग की विधि

त्रि–सीमाना कोड 15 डिजिट का एक अंकिक कोड होगा। इसे 5 टुकड़ा में तैयार होगा।

(i) पहला टुकड़ा 1 डिजिट का होगा जो यह बतायेगा कि जंक्शन प्वाइंट किस तरह का है।

P.C.P के लिए 1
S.C.P के लिए 2
T.C.P के लिए 3
A.C.P के लिए 4
त्रि–सीमाना के लिए 5

अर्थात् सारे त्रिसीमाने के 15 अंकों के कोड में पहला अंक 5 ही होगा।

(ii) दूसरा टुकड़ा दो अंकों का होगा, जो जिला का कोड बतायेगा। 38 जिला के लिए कोड की सूची N.I.C द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् है –

(iii) तीसरा टुकड़ा भी दो अंकों का होगा जो अंचल का कोड बतायेगा। जिलावार अंचल का कोड भी N.I.C द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् है –

(iv) चौथा टुकड़ा एक अंक का होगा जो ग्राम से बड़ी भौगोलिक इकाई के सीमा की प्रकृति बतायेगा।

यदि त्रि–सीमाना किसी
अंचल सीमा पर नहीं है
और केवल ग्राम–सीमा
के मध्य है तो उसके लिए 0

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम– सीमा के साथ
किसी अंचल सीमा पर
भी है तो उसके लिए 1

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम– सीमा के साथ
किसी जिला सीमा पर
भी है तो उसके लिए 2

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम–सीमा के साथ
किसी राज्य सीमा पर
भी है तो उसके लिए 3

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम–सीमा के साथ
किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
भी है तो उसके लिए 4

अगर किसी त्रि–सीमाना के लिए चौथे टुकडे के लिए एक से ज्यादा विकल्प होगा उपलब्ध होता है तो सबसे बड़े अंक को कोड में उपलब्ध किया जाएगा अर्थात वृहत्तर भौगोलिक इकाई की सीमा को वरीयता प्रदान किया जाएगा।

(v) पाँचवा टुकड़ा नौ अंको का होगा जो तीनों ग्रामों के राजस्व थाना नं0 (R.T No.) से मिलकर बना होगा। कोई भी त्रि–सीमाना भू–सतह के ऊपर चार फलको से बना हुआ पिरामीडनुमा संरचना है। प्रत्येक फलक के सम्मुख जो भी ग्राम पड़ता है उसका राजस्व थाना नं0 (R.T No.) अंकित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर त्रि–सीमाना का तीन फलक अंकित हो जाएगा और एक फलक खाली रहेगा जिस पर उपरोक्त वर्णित चार टुकड़ों को मिला कर बनने वाले छः अंकों का कोड अंकित किया जाना चाहिए।

मोन्यूमेंट किए जाने वाले सारे त्रि–सीमाना स्तभा के लिए सार्वभौमिक रूप से उत्तर दिशा के पिरामीड फलक पर उपर में कैपिटल "N" लिखा जाना चाहिए ताकि उत्तर दिशा का ज्ञान आसानी से हो सके।

{नोटः– सॉफ्टवेयर में G.C.N की विवरणी उपलब्ध कराते वक्त हवाई एजेंसियों को त्रि–सीमाना के पंद्रह अंकों के कोड में पाँचवे टुकडे के रूप में अंतिम नौ अंकों को उत्तर दिशा से बामावर्त (anticlockwise) घूमते हुए तीनों ग्रामों के राजस्व थाना नं0 (R.T No.) से निर्मित करना है।}

त्रि–सीमाने से संबंद्ध A.C.P के कोडिंग की विधि

A.C.P कोड 16 डिजिट का एक अंकिक कोड होगा। इस कोड का पहला अंक 4 होगा तथा दूसरे से 15वें अंक तक संबंधित त्रि–सीमाना के कोड को Follow करेगा अर्थात A.C.P जिस त्रि–सीमाने से संबद्ध है उसका दूसरे से 15वें अंक तक का कोड समान होगा। 16वें अंक के लिए A.C.P किस ग्राम में है इसकी सूचना समाहित होगी। प्रत्येक त्रि–सीमाने के परितः टाई–लाईन निर्दिष्ट करने के लिए तीन A.C.P अलग–अलग ग्राम में चिह्नित किए जायेंगे। उत्तर दिशा से वामावर्त (anticlockwise) घूमते हुए

पहले ग्राम के लिए............................ 1
दूसरे ग्राम के लिए............................ 2
तीसरे ग्राम के लिए............................ 3

स0स0प0 (मुख्यालय) द्वारा प्रत्येक ग्राम के त्रि–सीमाने और उनसे संबंधित A.C.P का पूर्ण विवरण वेबसाईट पर हवाई एजेंसियों द्वारा अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बिहार के लिए एक राज्यस्तरीय शुद्ध एवं एकरूप डाटाबेस का निर्माण हो सके।